

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक नजर में

2023-24

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

लेखे एक नजर में
2023-24

महालेखाकार
(लेखे एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

'लेखे एक नजर में' एक वार्षिक प्रकाशन है जो सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसाकि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण व ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी है।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते हैं और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा व हक) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

सुझाव जो इस प्रकाशन के सुधार में हमें मददगार होगें, का स्वागत है।

(तृप्ति गुप्ता)
महालेखाकार

स्थान : जयपुर,

दिनांक : अक्टूबर 29, 2024

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1.	प्रस्तावना	1
1.2.	लेखाओं का ढाँचा	1-2
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3-5
1.4.	निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन	5-7
1.5.	लेखे की विशिष्टताएं	8
1.6.	घाटा तथा अधिशेष क्या इंगित करते हैं ?	9-10
अध्याय 2	**प्राप्तियां**	
2.1.	प्रस्तावना	11
2.2.	राजस्व प्राप्तियां	11-12
2.3.	प्राप्तियों का रूझान	13-14
2.4.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली	14
2.5.	गत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्वंय के कर संग्रहण के रूझान	15
2.6.	गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान	15
2.7.	कर संग्रहण में दक्षता	16
2.8.	केन्द्र सरकार से अनुदान	16-17
2.9.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)	17
2.10.	लोक ऋण	17-18
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1.	प्रस्तावना	19
3.2.	राजस्व व्यय	19-21
3.3.	पूंजीगत व्यय	22-23
अध्याय 4	**राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता व्यय**	
4.1.	व्यय का वितरण	24
4.2.	राज्य निधि व्यय	24
4.3.	केन्द्रीय सहायता व्यय	24
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश	25
5.2.	गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान	25
5.3.	महत्वपूर्ण बचत	26-27

विषय सूची - *(समाप्त)*

		पृष्ठ
अध्याय 6	**सम्पत्तियां एवं दायित्व**	
6.1.	सम्पत्तियां	28–29
6.2.	ऋण एवं देयता	29–30
6.3.	गारन्टियां (आकस्मिक दायित्व)	30
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1.	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	31
7.2.	लेखों का अंक मिलान	32
7.3.	कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	32
7.4.	सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण–पत्र	32
7.5.	सारांशीकृत आकस्मिक (ए.सी.) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल	32
7.6.	निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते	33
7.7.	सिंगल नोडल एजेंसी (एस एन ए) को निधियों का हस्तांतरण:	33
7.8.	व्यय की प्रचुरता	33–34
7.9.	उचंत शेषों की स्थिति	34

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1. प्रस्तावना

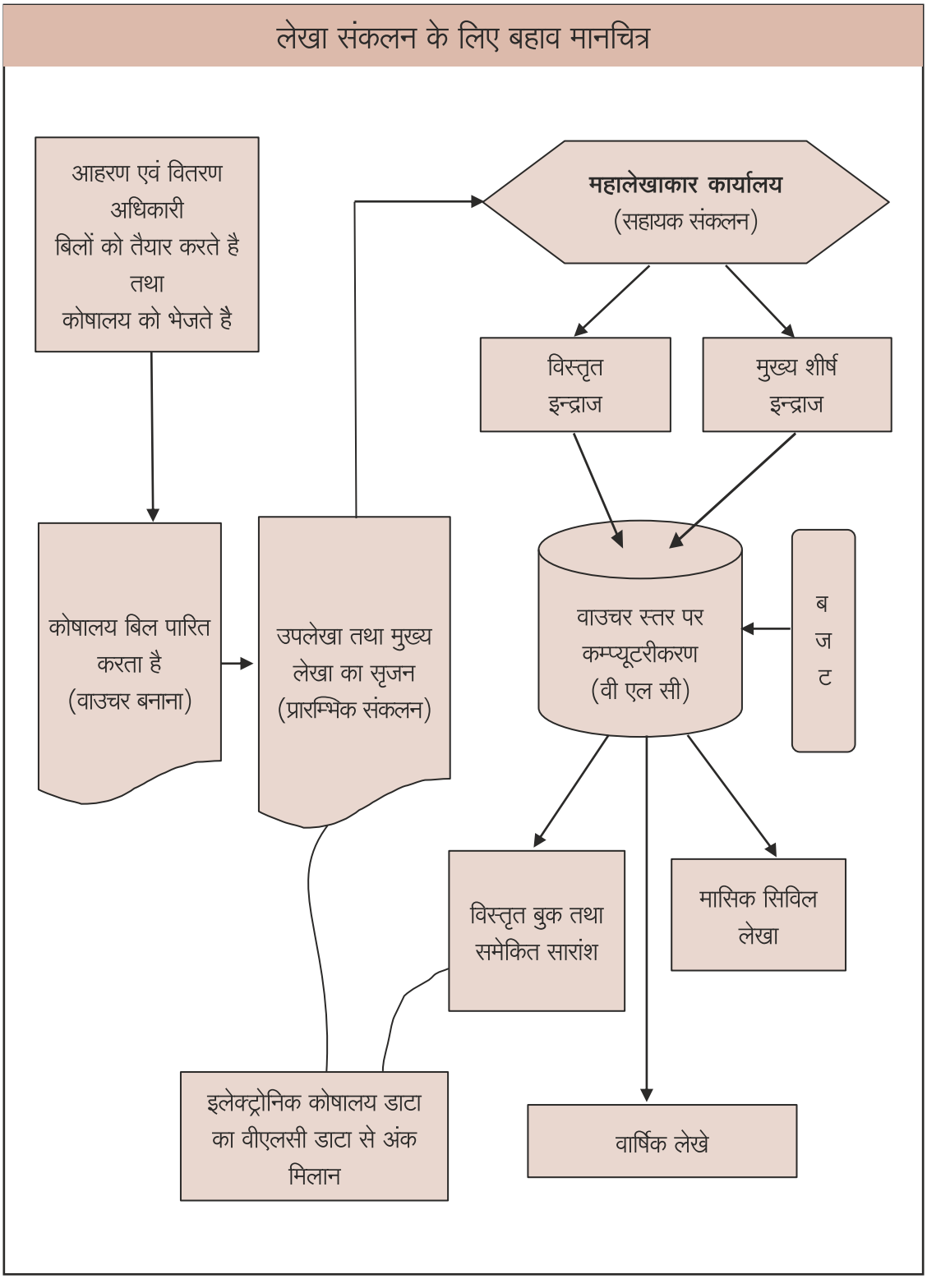
महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन किया जाता है । यह संकलन 56 जिला कोषालयों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों पर आधारित है। सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों से सम्बन्धित प्राप्तियों तथा भुगतानों को अप्रैल 2016 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के अधीन कोषालयों के साथ जोड़ दिया गया है, अत: सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों के लेखे कोषालयों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है। इस संकलन से, महालेखाकार (लेखा व हक) वार्षिक रूप से वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा–I), राजस्थान द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखाओं का ढाँचा

1.2.1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में संधारित किये जाते हैं

भाग I समेकित निधि	राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं अग्रिम।
भाग II आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस निधि से किये गये व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरित किया जाता है।
भाग III लोक लेखा	ऋण (भाग–I में शामिल ऋण को छोड़कर), जमा, पेशगियां, प्रेषण एवं उचन्त लेन–देन समाहित हैं। ऋण एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाता है। पेशगियां सरकार की प्राप्त होने योग्य हैं। प्रेषण तथा उचन्त संव्यवहार समायोजन प्रविष्टियां हैं जो लेखे के अंतिम शीर्ष में इन्द्राज से अन्ततोगत्वा समायोजित होनी आवश्यक है।

1.2.2. लेखों का संकलन


लेखा संकलन के लिए बहाव मानचित्र
आहरण एवं वितरण अधिकारी बिलों को तैयार करते है तथा कोषालय को भेजते है
महालेखाकार कार्यालय (सहायक संकलन)
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्ष इन्द्राज
कोषालय बिल पारित करता है (वाउचर बनाना)
उपलेखा तथा मुख्य लेखा का सृजन (प्रारम्भिक संकलन)
वाउचर स्तर पर कम्प्यूटरीकरण (वी एल सी)
बजट
विस्तृत बुक तथा समेकित सारांश
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रोनिक कोषालय डाटा का वीएलसी डाटा से अंक मिलान
वार्षिक लेखे

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

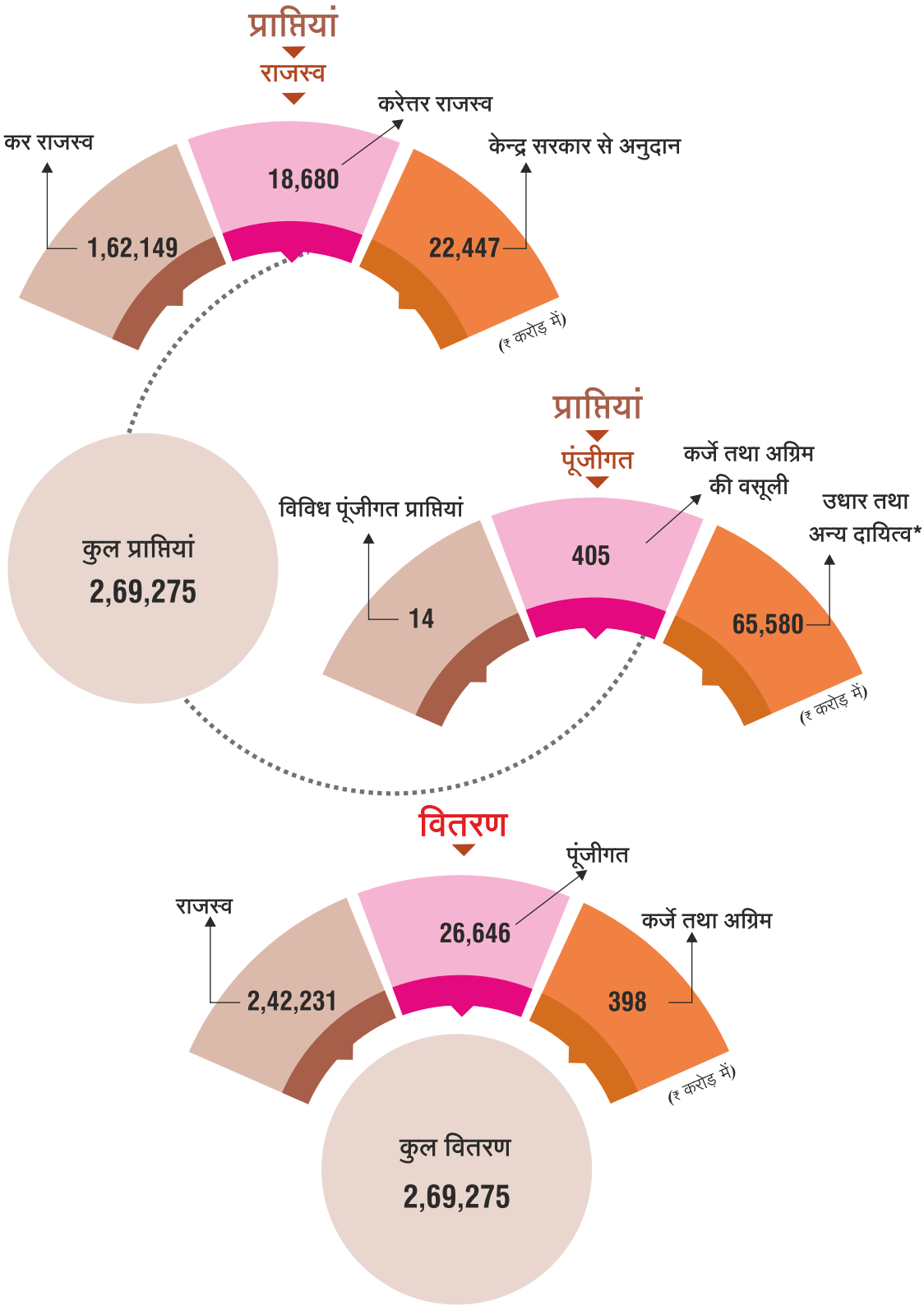
वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों तथा वितरणों को दर्शाते हैं, साथ ही लेखों में दर्ज राजस्व तथा पूंजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक लेखे के शेषों द्वारा वित्तीय परिणाम दिखाते हैं। वित्त लेखे अधिक व्यापक और सूचनार्थक बनाने हेतु दो खण्डों में तैयार किये जाते हैं । वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्राप्तियों एवं भुगतानों (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं लोक ऋण), निवेशों, गारण्टियों, सहायतार्थ अनुदान के सारांशीकृत विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन ढांचे की अनुपालना, लेखाओं की गुणवत्ता तथा अन्य मदों से समाहित 'वित्त लेखाओं से टिप्पणियां' हैं; खण्ड –II में विस्तृत विवरण (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) हैं।

राजस्थान सरकार की प्राप्तियां तथा वितरण, जैसा कि वित्त लेखे 2023–24 में प्रदर्शित है, नीचे दिये गये हैं:–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल : 2,69,275)	**राजस्व (कुल : 2,03,276)**	**कर राजस्व**	1,62,149
		(क) स्वयं का कर राजस्व	94,086
		(ख) कर के निवल आगम का भाग	68,063
		करेत्तर राजस्व	18,680
		केन्द्र सरकार से अनुदान	22,447
	पूंजीगत (कुल : 65,999)	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	14
		कर्जे तथा अग्रिम की वसूली	405
		उधार तथा अन्य दायित्व *	65,580
वितरण (कुल: 2,69,275)	**राजस्व**		2,42,231
	पूंजीगत		26,646
	कर्जे तथा अग्रिम		398

* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां–वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक – अंतिम)।



भारत सरकार के निर्णय, कि सी.एस.एस./ए.सी.ए. के अन्तर्गत सभी सहायता राज्य सरकार को जारी की जाये ना कि कार्यकारी अभिकरणों को, के उपरान्त भी भारत सरकार द्वारा निरन्तर कार्यकारी अभिकरणों को सीधे निधियां जारी की गयी । 2023–24 के दौरान, ₹ 27,844 करोड़ जारी किये गये जो कि 2022–23 में कार्यकारी अभिकरणों को सीधे जारी राशि से 54.2 *प्रतिशत* अधिक है। ये हस्तान्तरण

वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किये गये हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, इनमें से अधिकांश सीधे हस्तान्तरण इंडीजेनियस यूरिया के भुगतान (₹ 12,131 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 6,546 करोड़), जल जीवन मिशन (₹ 6,546 करोड़), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (₹ 4,163 करोड़) तथा आयातित पी एवं के उर्वरकों के लिए भुगतान (₹ 2,538 करोड़) के तहत किए गए थे। परिणामस्वरूप कार्यकारी अभिकरणों द्वारा ऐसे हस्तान्तरण और बाद के व्यय राज्य सरकार के वार्षिक खातों में नहीं दर्शाए जाते हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर *'भारित'* तथा राज्य विधानसभा द्वारा 'पारित' राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे में 64 अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2023–24 में सकल व्यय के लिये ₹ 4,03,547 करोड़ तथा व्यय की कटौति (वसूलियों) के लिए ₹ 12,691 करोड़ का प्रावधान कराया गया। इसके विरूद्ध, वास्तविक सकल व्यय ₹ 4,43,376 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹ 10,102 करोड़ थी, परिणामस्वरूप व्यय में ₹ 39,829 करोड़ का शुद्ध आधिक्य तथा व्यय की कटौति में ₹ 2,589 करोड़ का कम अनुमान रहा । राज्य सरकार ने बढे हुए व्यय को पूरा करने के लिए जुलाई 2023 और फरवरी 2024 में अनुदान की अनुपूरक अनुदान की मांगो से ₹ 1,01,423 करोड़ प्राप्त किये । सकल व्यय में सारांश आकस्मिक (एसी) बिल द्वारा आहरित ₹ 171 करोड़ शामिल हैं जिसमें से ₹ 17 करोड़ के सारांश आकस्मिक बिल वर्ष के अन्त तक विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल की प्रत्याशा में बकाया थे।

2023–24 के दौरान, ₹ 22,865 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखा के अंतर्गत निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में स्थानान्तरित किये गये, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों का विवरण तथा व्यक्तिगत निजी निक्षेप खातों में बकाया शेष, यदि कोई है, केवल कोषालय के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों के संधारण के लिए वे ही उत्तरदायी है।

1.4. निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित तयशुदा न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 2.34 करोड़) में यदि कमी आती है, तो अधिविकर्ष (ओडी) की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । 2023–24 के दौरान, राजस्थान सरकार ने 142 अवसरों पर 329 दिनों के लिए ₹ 1,23,207 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम लिया एवं ₹ 336 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया तथा 28 अवसरों पर 47 दिनों के लिए ₹ 11,905 करोड़ सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लिया तथा ₹ 4 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया।

1.4.2. *निधि प्रवाह विवरण*

राज्य का ₹ 38,955 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 65,580 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[1] का क्रमश: 2.5 *प्रतिशत* तथा 4.3 *प्रतिशत* था।

[1] निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान, जयपुर के घोषित अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2023–24 के लिए जी.एस.डी.पी. ₹ 15,28,385 करोड़ है।

राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 24.4 *प्रतिशत* था। यह घाटा लोक ऋण (₹ 58,268 करोड़) तथा लोक लेखा एवं रोकड़ शेष में निवल वृद्धि (₹ 7,312 करोड़) से पूरित किया गया । राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) का लगभग 85.5 *प्रतिशत* वचनबद्ध व्यय (₹ 1,73,764 करोड़), जैसे संवेतन (₹ 64,947 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 34,129 करोड़), पेंशन (₹ 27,203 करोड़), सहाय्य (₹ 28,403 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य पेंशन (₹ 9,621 करोड़), सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (₹ 9,009 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 452 करोड़) पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत एवं आवेदन

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत

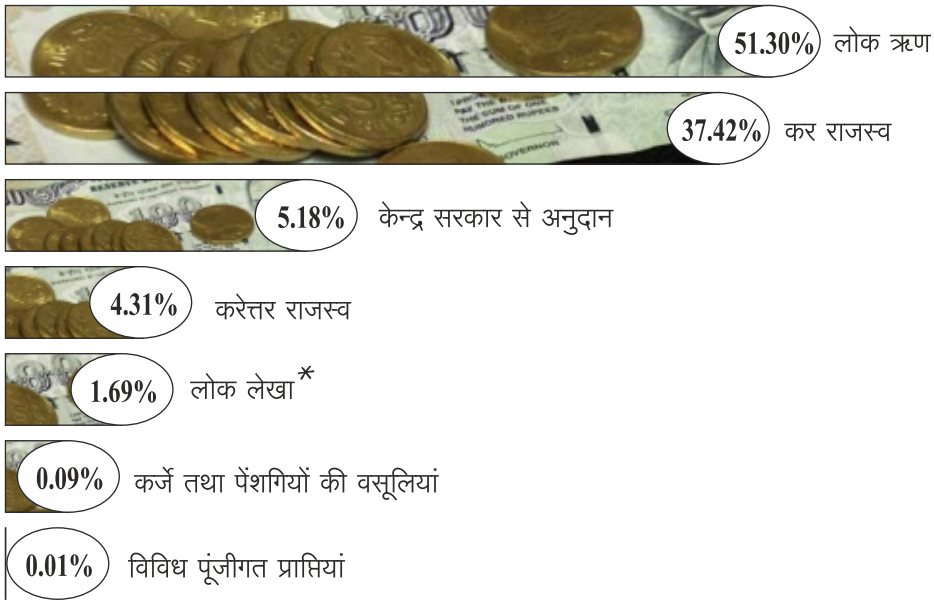
01.04.2023 को प्रारम्भिक नकद शेष	(-) 71
राजस्व प्राप्तियां	2,03,276
पूंजीगत प्राप्तियां	14
कर्ज तथा अग्रिम की वसूली	405
लोक ऋण	2,22,267
अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	16,408
आरक्षित निधियां	17,376
प्राप्त जमाएं	2,43,826
सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखा *	28,336
प्रेषण	14,518
आकस्मिकता निधि	..
योग	**7,46,355**

आवेदन

राजस्व व्यय	2,42,231
पूंजीगत व्यय	26,646
दिये गये ऋण	398
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,63,999
अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	10,312
आरक्षित निधियां	16,264
खर्च की गयी जमाएं	2,43,237
दिये गये सिविल अग्रिम	..
उचन्त लेखा *	28,740
प्रेषण	14,526
31.03.2024 को अंतिम नकद शेष	2
योग	**7,46,355**

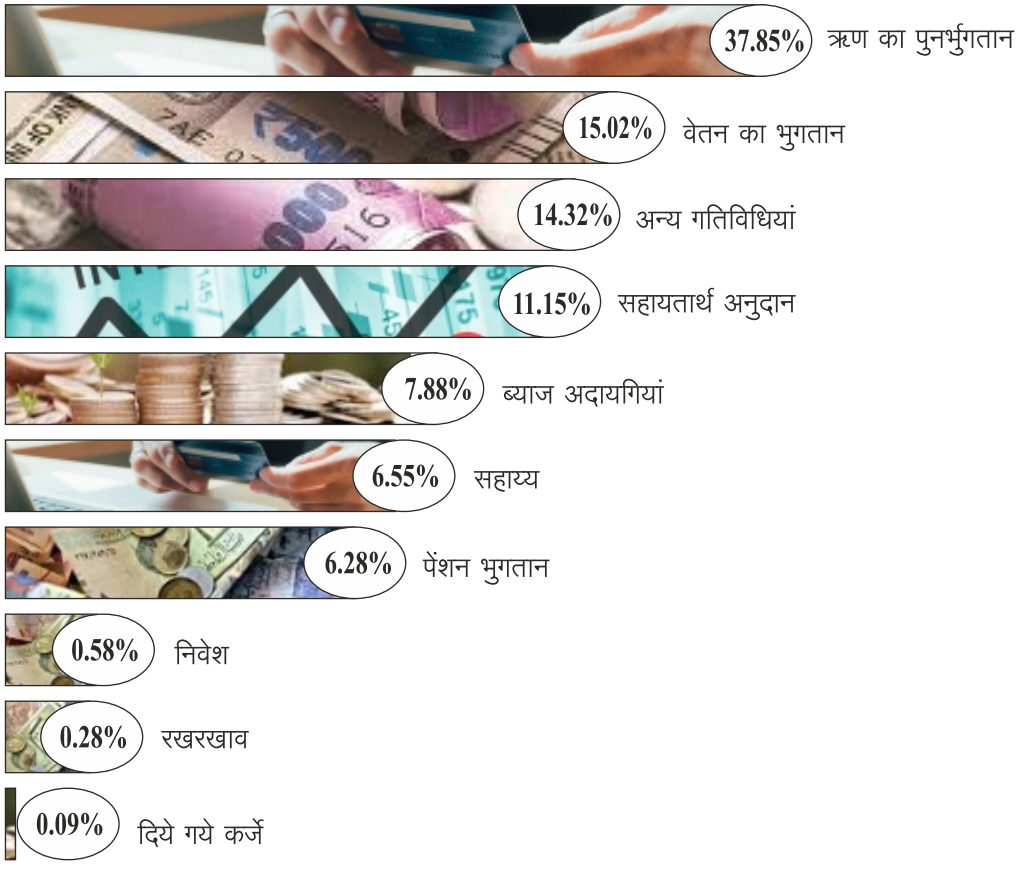
* उचन्त खाते में ₹ 28,742 करोड़ कोषालय बिलों में निवेशित तथा विभागीय शेषों तथा स्थायी नकद अग्रदाय में वितरण, जिन्हें " आवेदन " पक्ष की ओर दर्शाया गया है तथा ₹ 28,218 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बेचे गये कोषालय बिल ("पुन: बट्टे" के रूप में जाने जानी वाली एक प्रक्रिया) तथा विभागीय शेषों तथा स्थाई नकद अग्रदाय में प्राप्तियां जिन्हें " स्त्रोतों " की तरफ दर्शाया गया है, सम्मिलित है।

1.4.3. *रुपया जहाँ से आया :*



* लोक लेखे (रोकड़ शेष सहित) के उपरोक्त घटक निवल लिये गये हैं।

1.4.4. *रुपया जहाँ गया :*



1.5. लेखे की विशिष्टताएं

		आय-व्ययक अनुमान 2023-24	वास्तविक	वास्तविक का आय-व्ययक अनुमान से *प्रतिशतता*	वास्तविक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद@ से *प्रतिशतता*
		(₹ करोड़ में)			
1.	कर राजस्व (केन्द्रीय हिस्सा सहित)	1,75,721	1,62,149	92.3	10.6
2.	करेत्तर राजस्व	24,285	18,680	76.9	1.1
3.	केन्द्र सरकार से अनुदान	33,982	22,447	66.1	1.5
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**2,33,988**	**2,03,276**	**86.9**	**13.2**
5.	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	311	405	130.2	..
6.	अन्य प्राप्तियां	20	14	70.0	..
7.	निवल उधार और अन्य दायित्व	62,772	65,580	104.5	4.3
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**63,103**	**65,999**	**104.6**	**4.3**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**2,97,091**	**2,69,275**	**90.6**	**17.6**
10.	**राजस्व लेखे पर व्यय**	**2,58,884**	**2,42,231**	**93.6**	**15.8**
	राजस्व लेखे पर राज्य निधि व्यय	2,33,861	2,24,466	96.0	14.7
	राजस्व लेखा पर केन्द्रीय सहायता	25,023	17,765	71.0	1.2
11.	ब्याज अदायगियां पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	32,394	34,128	105.4	2.2
12.	**पूंजीगत लेखे पर व्यय ***	**38,207**	**27,044**	**70.8**	**1.8**
	पूंजीगत लेखा पर राज्य निधि व्यय	31,598	23,673	74.9	1.5
	पूंजीगत लेखा पर केन्द्रीय सहायता	6,609	3,371	51.0	0.2
13.	**कुल व्यय (10+12)**	**2,97,091**	**2,69,275**	**90.6**	**17.6**
	राज्य निधि व्यय	2,65,459	2,48,139	93.5	16.2
	केन्द्रीय सहायता	31,632	21,136	66.8	1.4
14.	**राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)& (4-10)**	**(-) 24,896**	**(-) 38,955**	**156.5**	**2.5**
15.	**राजकोषीय घाटा & [13-(4+5+6)]=7**	**(-) 62,772**	**(-) 65,580**	**104.5**	**4.3**

@ विस्तृत रूप से, वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों के उपभोग हेतु प्रावधान करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 15,28,385 करोड़) के रूप में जाना जाता हैं।

* पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (बजट: ₹ 38,061 करोड़ और वास्तविक: ₹ 26,646 करोड़) तथा वितरित किये गये कर्जे और पेशगियां (बजट: ₹ 146 करोड़ और वास्तविक: ₹ 398 करोड़) शामिल हैं।

& राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (वितरित कर्जे और पेशगियां सहित) का राजस्व प्राप्तियों, कर्जे और पेशगियां की वसूलियां तथा अन्य प्राप्तियां पर रहे आधिक्य को राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

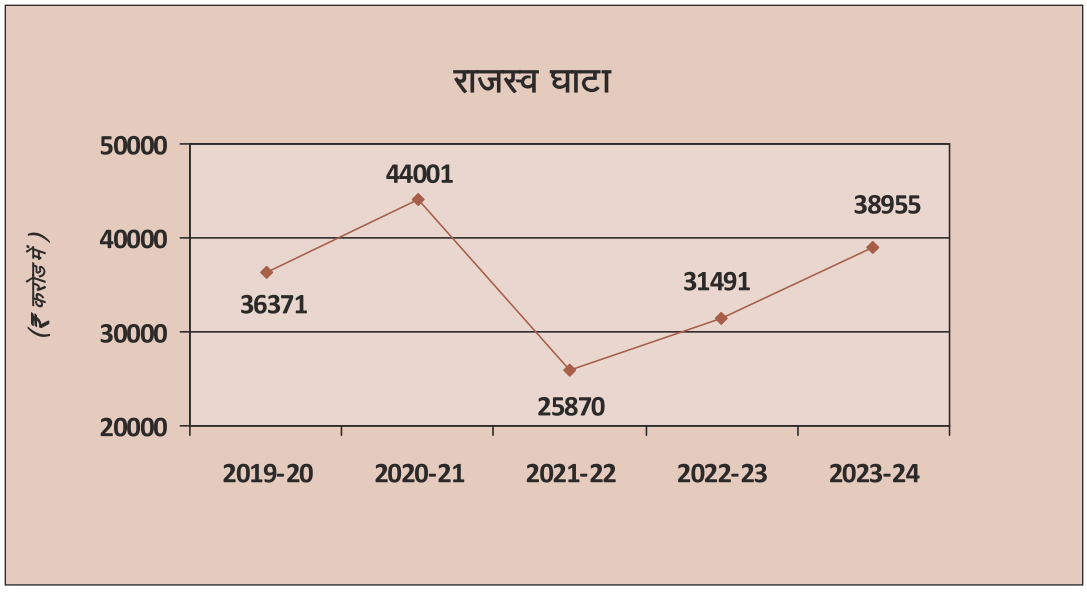
1.6. घाटा तथा अधिशेष क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	प्राप्ति तथा व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे पोषित होता है तथा निधियों का आवेदन, वित्तीय प्रबन्धन के विवेक का महत्वपूर्ण सूचक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान ढाँचे के संधारण में अपेक्षित है तथा आदर्श रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) तथा कुल व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। यह अंतर यद्यपि, उधार द्वारा पोषित व्यय का सूचक है। आदर्श रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

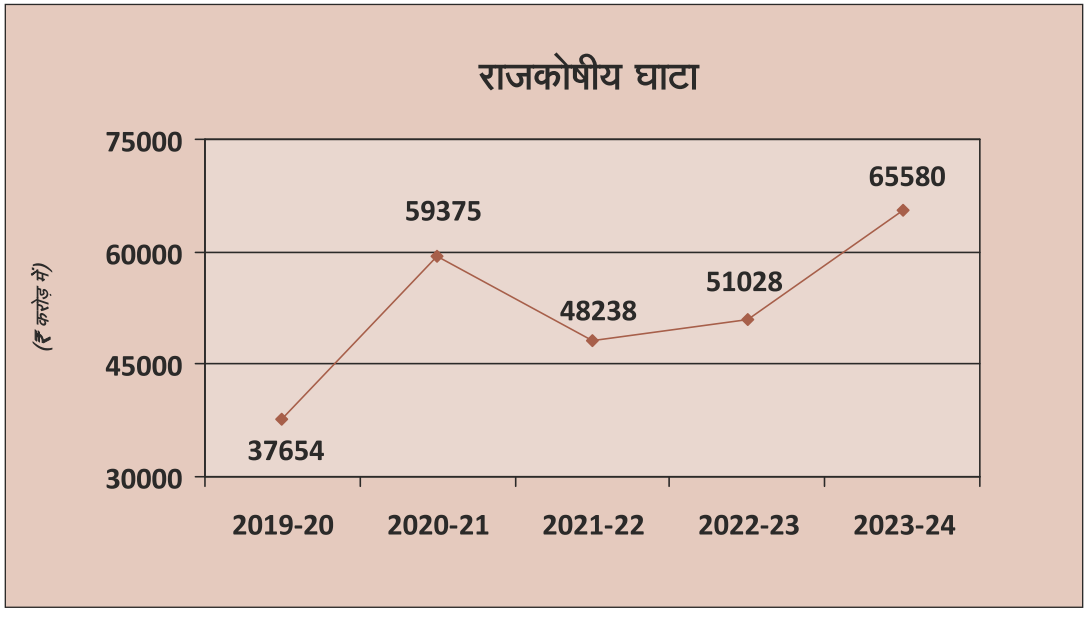
घाटा सूचक, राजस्व आवर्द्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदण्ड है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंषा के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 गठित किया गया तथा 2006 में इससे सम्बन्धित नियमावली अधिसूचित की गयी। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011 तथा 2016) में संशोधन के अनुसार राज्य ने (i) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को खत्म करने तथा उसके बाद यथास्थिति रखने अथवा राजस्व अधिशेष की प्राप्ति, (ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 *प्रतिशत* या इससे कम करने तथा उसके बाद में इसे बनाये रखना तथा (iii) 2022-23 की समाप्ति पर बकाया दायित्वों को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 38.2 *प्रतिशत* तक कम करने के राजकोषीय लक्ष्य सुनिश्चित करना निर्धारित किया ।

2023-24 के दौरान ₹ 38,955 करोड़ का राजस्व घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.5 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.3 *प्रतिशत* होते हुए ₹ 65,580 करोड़ था जो गत वर्ष की तुलना में 0.7 *प्रतिशत* अधिक था।

1.6.1. राजस्व घाटा का रूझान



1.6.2. राजकोषीय घाटे का रूझान



अध्याय-2

प्राप्तियां

2.1. प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती है। 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 2,69,275 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोजित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि सम्मिलित हैं।
सहायतार्थ अनुदान	मूल रूप से संघ सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के एक रूप में विदेशी सरकार से प्राप्त ''बाह्य अनुदान सहायता'' और संघ सरकार के माध्यम से चैनलाइज किया गया शामिल है। राज्य सरकार संस्थाओं जैसे पंचायती राज्य संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायतार्थ अनुदान भी देती है।

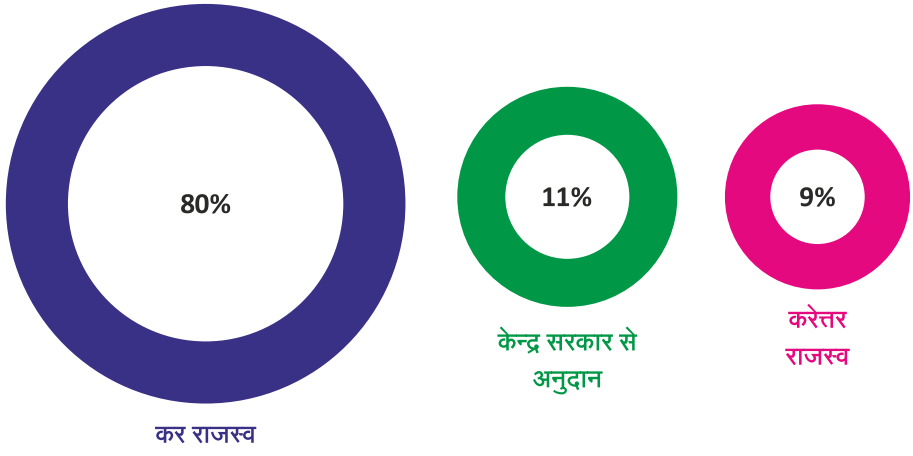
2.2.1. राजस्व प्राप्ति के घटक (2023-24)

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	राजस्व प्राप्ति से *प्रतिशतता*
क. कर राजस्व *	**1,62,149**	**79.8**
वस्तु एवं सेवा कर	58,672	28.9
आय एवं व्यय पर कर	44,023	21.7
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	9,751	4.8
सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर	49,703	24.4
ख. करेत्तर राजस्व	**18,680**	**9.2**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	2,057	1.0
सामान्य सेवाएं	3,164	1.6
सामाजिक सेवाएं	1,496	0.7
आर्थिक सेवाएं	11,963	5.9
ग. केन्द्र सरकार से अंशदान	**22,447**	**11.0**
योग- राजस्व प्राप्तियां	**2,03,276**	**100.0**

* भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मिलित है।

राजस्व प्राप्तियां



2.2.2. कर राजस्व के मुख्य अशंदाता:–

संघटक	वास्तविक *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर *प्रतिशतता*
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	38,016	2.5
निगम कर से भिन्न आय पर कर	23,593	1.5
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23,473	1.5
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	20,656	1.4
निगम कर	20,430	1.3
राज्य उत्पाद शुल्क	13,225	0.9
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	9,181	0.6
वाहन कर	6,704	0.4
विद्युत पर कर तथा शुल्क	2,918	0.2
सीमा शुल्क	2,385	0.2

वर्ष के दौरान, शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमानों से ₹ 13,572 करोड़ कम था। राजस्व के संग्रहण में मुख्य अन्तर निम्न है:–

(₹ करोड़ में)

जहाँ वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से कम थी		जहाँ वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक थी	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	10,930	निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,427
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,827	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	753
राज्य उत्पाद शुल्क	3,775	निगम कर	729
वाहन कर	996	उत्पाद शुल्क	433
विद्युत पर कर तथा शुल्क	208		
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पति पर कर	200		

2.3. प्राप्तियों का रूझान

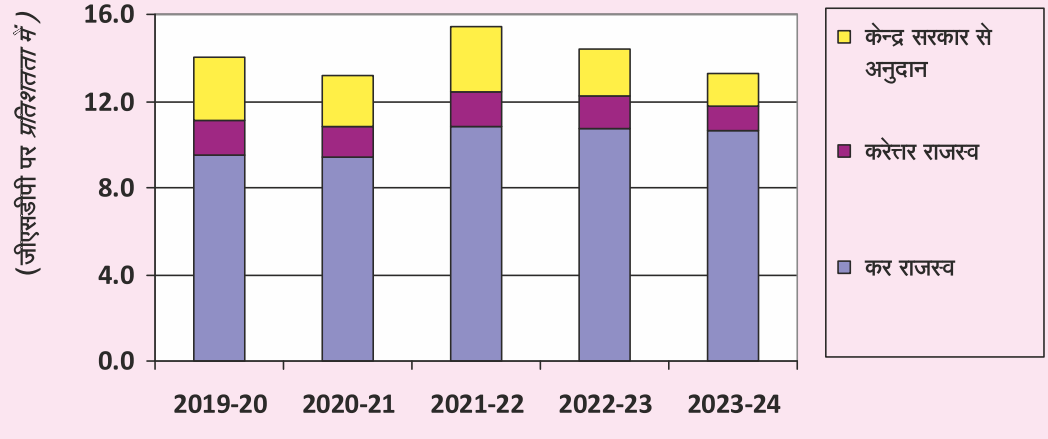
(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर राजस्व	95,294 (9.5)	95,859 (9.4)	1,28,839 (10.8)	1,44,577 (10.7)	1,62,149 (10.6)
करेत्तर राजस्व	15,714 (1.6)	13,653 (1.4)	18,755 (1.6)	20,565 (1.5)	18,680 (1.2)
केन्द्र सरकार से अनुदान	29,106 (2.9)	24,796 (2.4)	36,326 (3.0)	29,846 (2.2)	22,447 (1.5)
कुल राजस्व प्राप्ति	**1,40,114** (14.0)	**1,34,308** (13.2)	**1,83,920** (15.4)	**1,94,988** (14.4)	**2,03,276** (13.3)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**10,00,032**	**10,17,917**	**11,94,961**	**13,57,851**	**15,28,385**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।

2023–24 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष की तुलना में 12.6 *प्रतिशत* बढा तथा राजस्व संग्रहण में भी 4.3 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई । गत वर्ष की तुलना में कर राजस्व में क्रमश: 12.2 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अनुदान में क्रमश: 9.2 *प्रतिशत* और 24.8 *प्रतिशत* की कमी हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटक

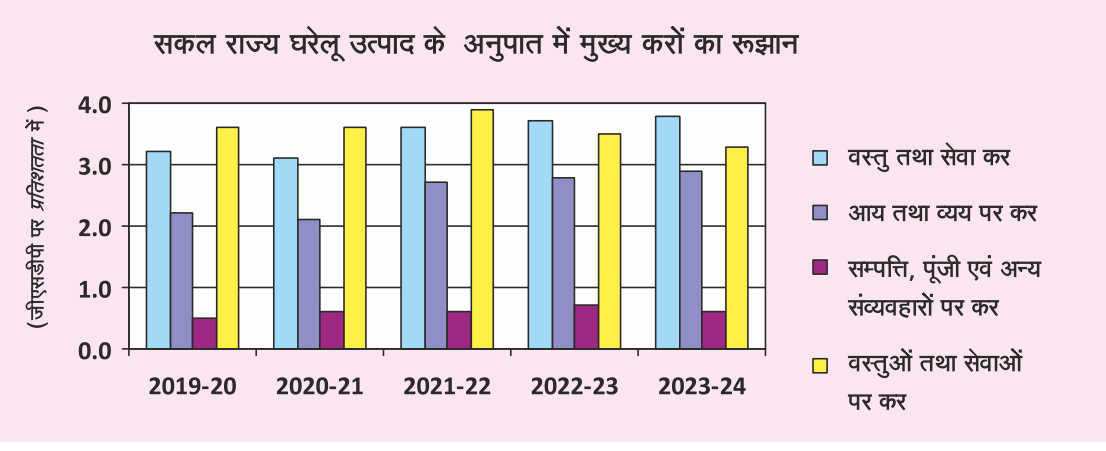


खण्डवार राजस्व कर

(₹ करोड़ में)

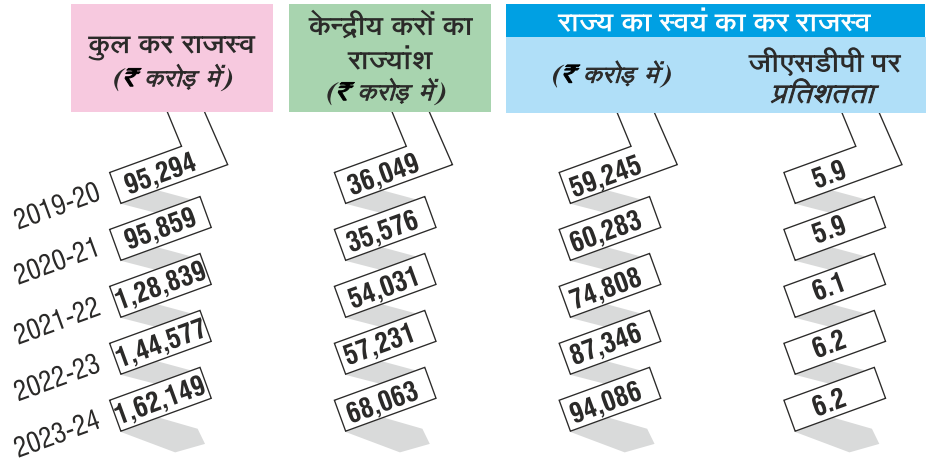
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वस्तु एवं सेवा कर	32,184 (3.2)	31,357 (3.1)	42,763 (3.6)	49,960 (3.7)	58,672 (3.8)
आय एवं व्यय पर कर	21,922 (2.2)	21,689 (2.1)	32,050 (2.7)	37,922 (2.8)	44,023 (2.9)
सम्पत्ति पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर	4,601 (0.5)	5,640 (0.6)	7,349 (0.6)	8,741 (0.7)	9,751 (0.6)
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	36,587 (3.6)	37,173 (3.6)	46,677 (3.9)	47,954 (3.5)	49,703 (3.3)
कुल कर राजस्व	**95,294** (9.5)	**95,859** (9.4)	**1,28,839** (10.8)	**1,44,577** (10.7)	**1,62,149** (10.6)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**10,00,032**	**10,17,917**	**11,94,961**	**13,57,851**	**15,28,385**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।



2.4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्त्रोतों से आता है अर्थात् राज्य का स्वयं का कर संग्रहण तथा संघ करों का हस्तांतरण।



2.5. गत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्वयं के कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	21,954	20,755	27,502	33,790	38,016
भू–राजस्व	364	280	632	484	469
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,235	5,297	6,492	8,189	9,181
राज्य उत्पाद शुल्क	9,592	9,853	11,807	13,326	13,225
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,843	17,479	20,605	22,727	23,473
माल तथा यात्री पर कर	41	45	171	8	..
वाहन कर	4,951	4,368	4,759	6,128	6,704
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पति पर कर	1	63	223	68	100
विद्युत् पर कर तथा शुल्क	2,263	2,142	2,606	2,625	2,918
अन्य	1	1	11	1	..
कुल	**59,245**	**60,283**	**74,808**	**87,346**	**94,086**

2.6. गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	10,229	10,602	15,261	16,170	20,656
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	..	..	..	..	..
निगम कर	12,291	10,711	16,172	19,192	20,430
आय पर निगम कर से भिन्न कर	9,631	10,978	15,877	18,730	23,593
धन पर कर	1	..	4	..	..
सीमा शुल्क	2,285	1,911	3,864	2,250	2,385
संघ उत्पाद शुल्क	1,589	1,199	2,098	706	903
सेवा शुल्क	..	150	701	89	13
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	23	25	54	94	83
आय तथा व्यय पर अन्य कर	..	..	..	..	..
संघ करों के राज्यांश	**36,049**	**35,576**	**54,031**	**57,231**	**68,063**
कुल कर राजस्व	**95,294**	**95,859**	**1,28,839**	**1,44,577**	**1,62,149**
कुल कर राजस्व पर संघ करों का *प्रतिशत*	**37.8**	**37.1**	**41.9**	**39.6**	**42.0**

2.7. कर संग्रहण में दक्षता

क. सम्पत्ति, पूंजी एवं अन्य संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व संग्रहण	4,601	5,640	7,349	8,741	9,751
संग्रहण पर व्यय	791	852	952	956	1,085
संग्रहण की लागत (*प्रतिशत* में)	17.2	15.1	13.0	10.9	11.1

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर जी.एस.टी. सहित

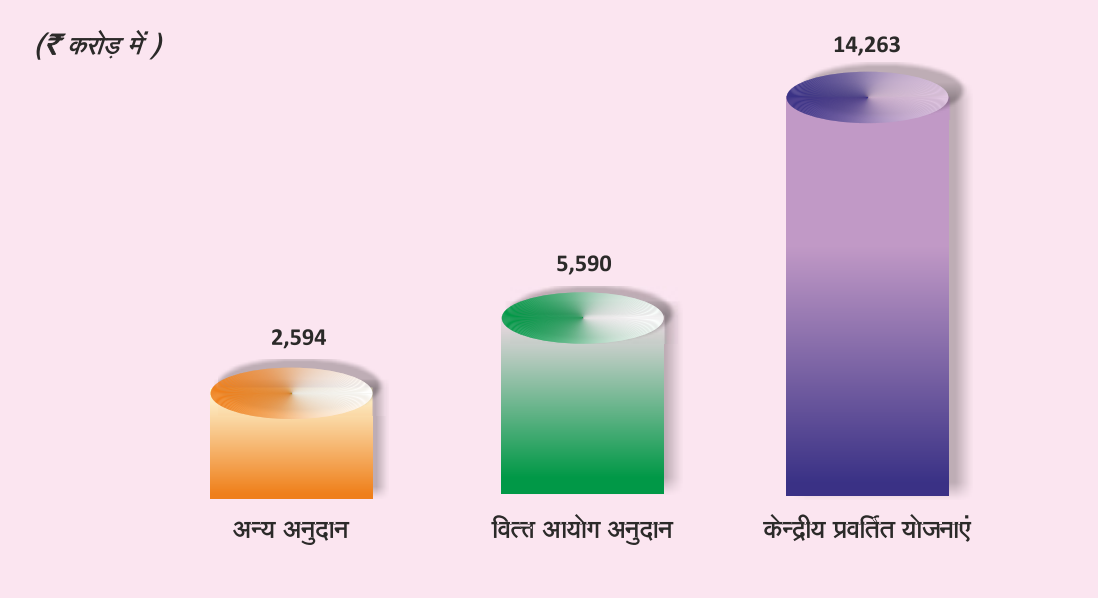
(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व संग्रहण	68,771	68,530	89,440	97,914	1,08,375
संग्रहण पर व्यय	1,154	1,820	1,745	1,561	1,462
संग्रहण की लागत (*प्रतिशत* में)	1.7	2.7	2.0	1.6	1.3

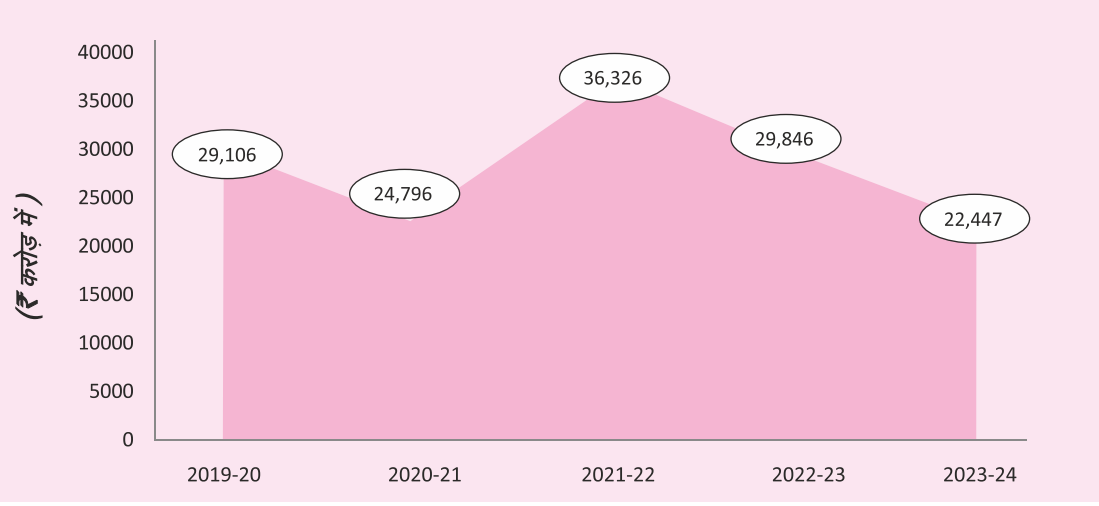
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर जी.एस.टी. सहित, कर राजस्व का मुख्य भाग बनाती है। कर संग्रह की लागत में 2022–23 से 0.3 *प्रतिशत* की कमी रही।

2.8. केन्द्र सरकार से अनुदान

केन्द्र सरकार से अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंषित अनुदान सम्मिलित है। 2023–24 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 22,447 करोड़ नीचे दर्शाए अनुसार हैं:



सहायतार्थ अनुदान का गत पांच वर्षो का रूझान निम्न प्रकार है:-



2.9. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था । जी.एस.टी. (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार जी.एस.टी. लागू होने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकारों को करेगी।

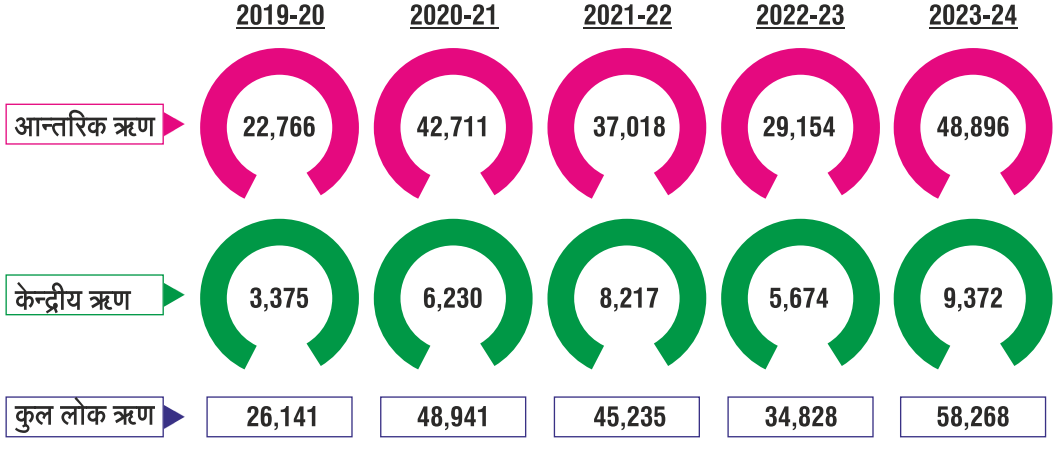
2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत राजस्व के रूप में ₹ 58,672 करोड़ (₹ (-) 468 करोड़ आई.जी.एस.टी. से अग्रिम बंटवारे के शामिल करते हुए) प्राप्त किये तथा जी.एस.टी. लागू करने से उत्पन्न होने वाली राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से ₹ 1,398 करोड़ प्राप्त किये।

2.10. लोक ऋण

2.10.1. लोक ऋण का रूझान

गत पांच वर्षो में लिये गये लोक ऋण (निवल) का रूझान निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

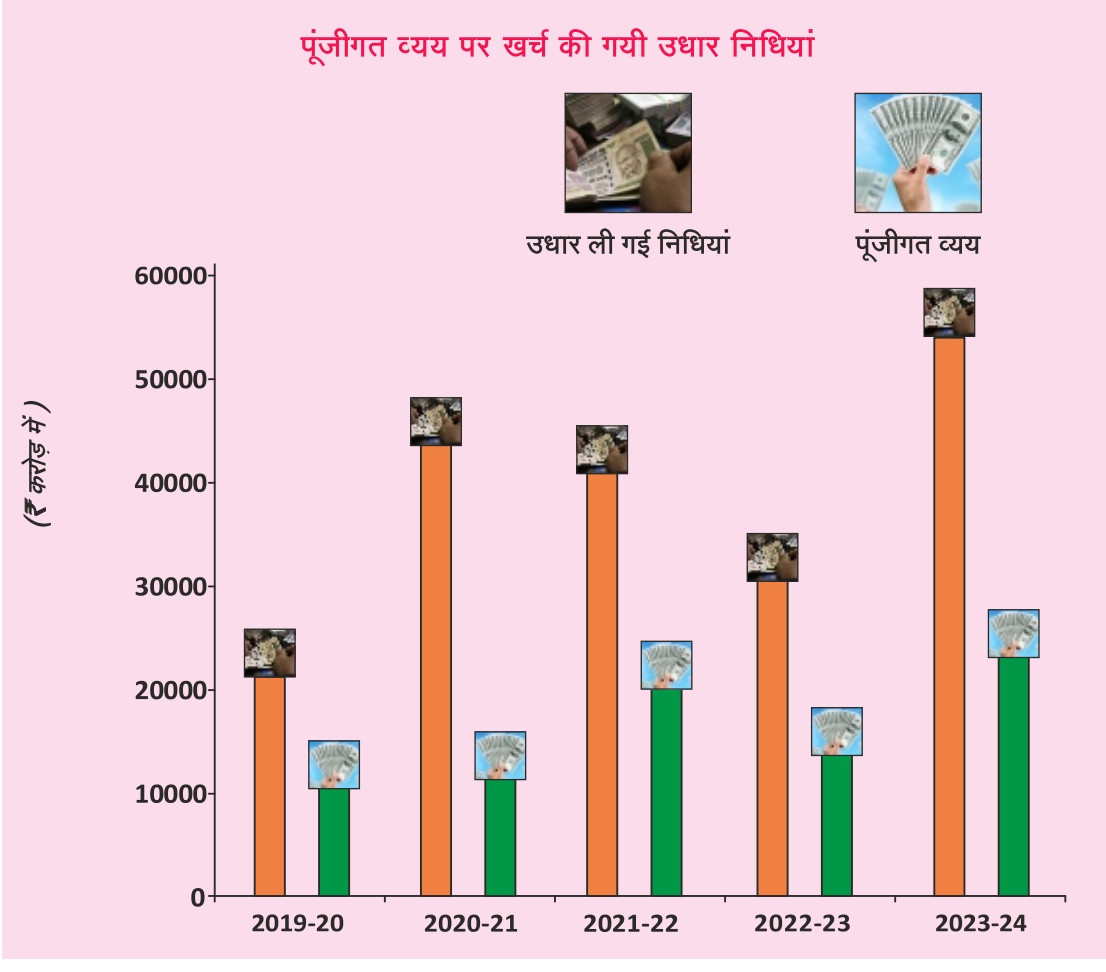


2023–24 में, 67 ऋण कुल ₹ 73,624 करोड़ के 7.34 *प्रतिशत* से 8.28 *प्रतिशत* की विभिन्न ब्याज दर पर लिये गये तथा वर्ष 2029 से 2049 के बीच चुकता होंगे।

2.10.2. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत व्यय	14,718	15,271	24,152	19,798	26,646
उधार ली गई निधियां (निवल)	26,141	48,941	45,235	34,828	58,268



यह वांछित है कि उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाये तथा राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग मूलधन तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाए। 2013–14 से राज्य सरकार के पास ऋण चुकाने के लिए कोई राजस्व अधिशेष नहीं है। राज्य सरकार ने यद्यपि, पूंजी लेखे पर व्यय (₹ 26,646 करोड़) चालू वर्ष की शुद्ध उधारी (₹ 58,268 करोड़) की तुलना में कम किया गया तथा शेष उधारी (₹ 31,622 करोड़) राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये उपयोजित की गयी ।

अध्याय-3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय सरकार को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय का प्रयोग स्थायी सम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ाने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, ब्याज अदायगियां, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत इत्यादि सम्मिलित हैं।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2. राजस्व व्यय

2023-24 के लिये ₹ 2,42,231 करोड़ का राजस्व व्यय बजट प्रावधान (₹ 2,58,884 करोड़) राज्य निधि (₹ 9,395 करोड़) तथा केन्द्रीय सहायता (₹ 7,258 करोड़) में कम वितरण ₹ 16,653 करोड़ कम था । राज्य सरकार ने वर्तमान योजनाओं तथा नवीन सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए जुलाई 2023 तथा फरवरी 2024 में ₹ 17,314 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया।

गत पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय की कमी/आधिक्य नीचे दर्शायी जाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान	1,91,020	1,85,750	2,08,080	2,38,466	2,58,884
वास्तविक	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
अन्तर	14,535	7,441	(-) 1,710	11,987	16,653
बजट अनुमानों पर अन्तर की *प्रतिशतता*	7.6	4.0	0.8	5.0	6.4

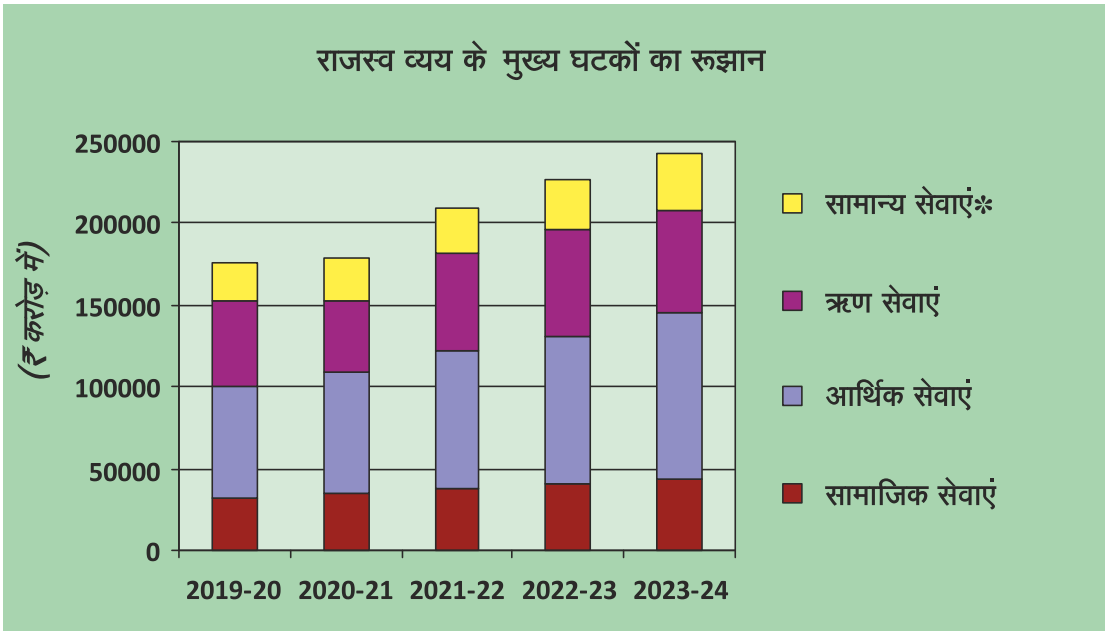
राजस्व व्यय (₹ 1,73,764 करोड़) का लगभग 71.7 *प्रतिशत* वेतन (₹ 64,947 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 34,129 करोड़), पेंशन (₹ 27,203 करोड़), सहाय्य (₹ 28,403 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य पेंशन (₹ 9, 621 करोड़), सहायतार्थ अनुदान (वेतन) (₹ 9,009 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 452 करोड़) पर " प्रतिबद्ध " था।

प्रतिबद्ध तथा गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	1,24,887	1,27,306	1,47,854	1,58,163	1,73,764
गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	51,598	51,003	61,936	68,316	68,467
राजस्व प्राप्तियों पर वचनबद्ध व्यय (*प्रतिशत में*)	89.1	94.8	80.4	81.1	85.5
राजस्व व्यय पर वचनबद्ध व्यय (*प्रतिशत में*)	70.8	71.4	70.5	69.8	71.7

3.2.1. राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2019-2024)

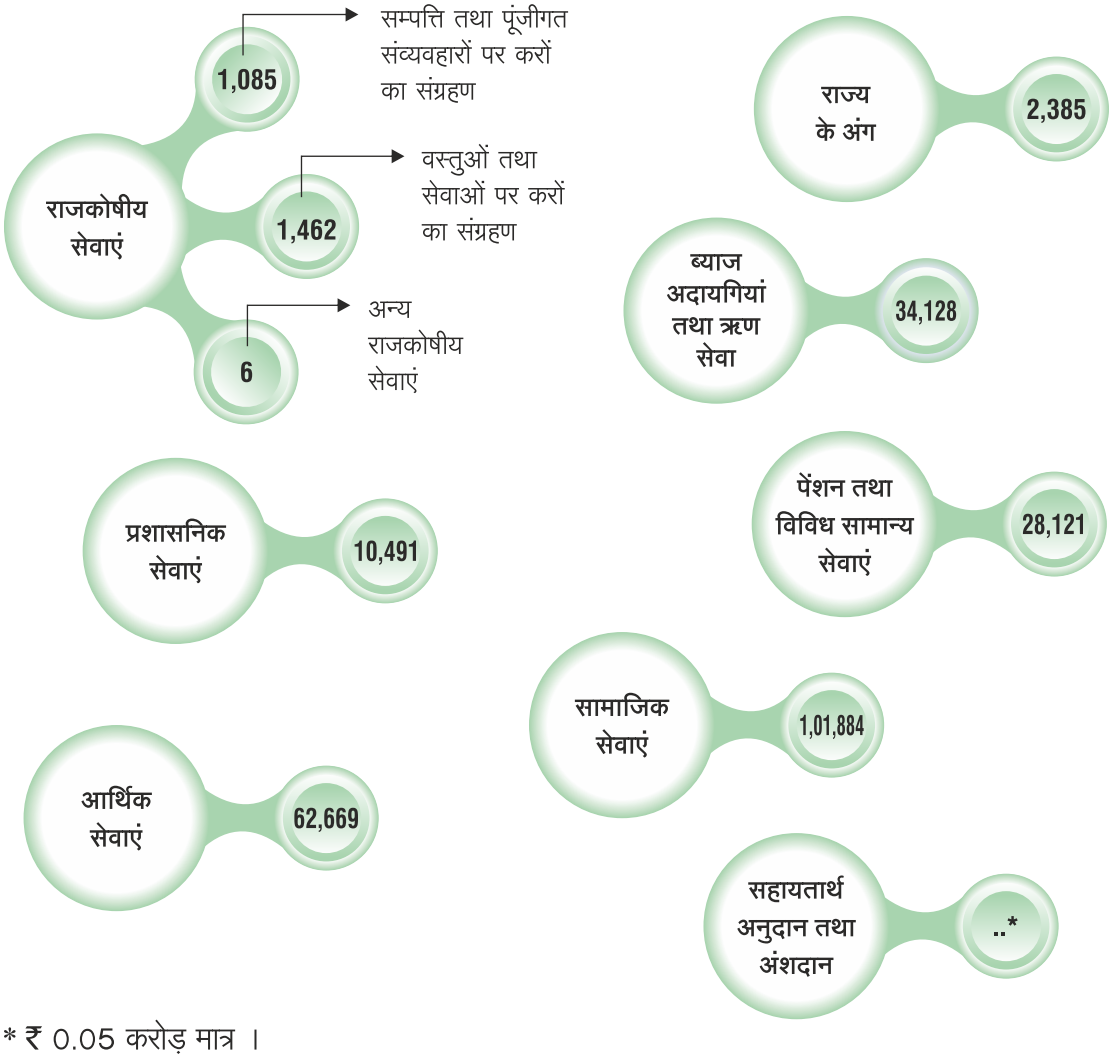


* सामान्य सेवाएं में *मुख्य शीर्ष 2049* (ब्याज अदायगियां) सम्मिलित नहीं है तथा *मुख्य शीर्ष 3604* (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

गत वर्ष की तुलना में सभी क्षेत्रों के व्यय में वृद्धि हुई।

3.2.2. राजस्व व्यय का खण्डवार विवरण

घटक	राशि *(₹ करोड़ में)*	*प्रतिशत*
क. राजकोषीय सेवाएं	2,553	1.0
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	*1,085*	*0.4*
वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण जी एस टी सहित	*1,462*	*0.6*
अन्य राजकोषीय सेवाएं	*6*	..
ख. राज्य के अंग	2,385	1.0
ग. ब्याज अदायगियां तथा ऋण सेवा	34,128	14.1
घ. प्रशासनिक सेवाएं	10,491	4.3
ङ पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	28,121	11.6
च. सामाजिक सेवाएं	1,01,884	42.1
छ. आर्थिक सेवाएं	62,669	25.9
ज. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	..*	..
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**2,42,231**	**100.0**



* ₹ 0.05 करोड़ मात्र ।

3.3. पूंजीगत व्यय

2023–24 के लिए ₹ 26,646 करोड़ का पूंजीगत व्यय (वितरित ऋण छोडकर), राज्य निधि (₹ 8,177 करोड़) तथा केन्द्रीय सहायता के अधीन (₹ 3,238 करोड़) के अधीन कम संवितरण के कारण, बजट अनुमान (₹ 38,061 करोड़) से ₹ 11,415 करोड़ कम था। पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.7 *प्रतिशत* था। राज्य सरकार ने वर्तमान योजनाओं तथा नवीन सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये जुलाई 2023 तथा फरवरी 2024 में ₹ 3,698 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया ।

2023–24 में ₹ 398 करोड़ का ऋण वितरण बजट अनुमान (₹ 146 करोड़) से ₹ 252 करोड़ अधिक था।

3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

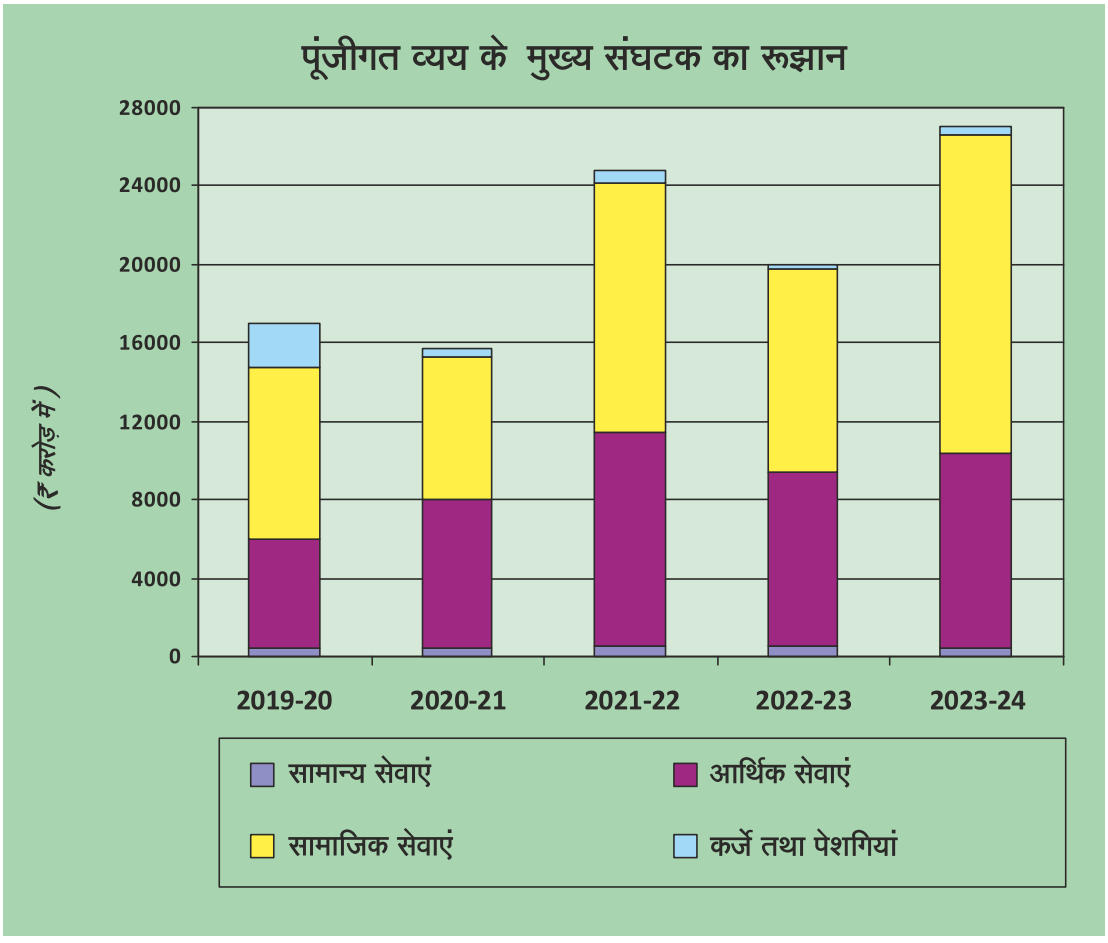
2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 6,473 करोड़ सड़क तथा सेतु निर्माण पर, ₹ 4,777 विभिन्न सिंचाई परियाजनाओं (₹ 3,466 करोड़ मुख्य सिंचाई पर, ₹ 324 करोड़ मध्यम सिंचाई पर तथा ₹ 987 करोड़ लघु सिंचाई) पर, ₹ 3,176 करोड़ विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर, ₹ 2,019 करोड शहरी विकास पर, ₹ 2,003 करोड़ चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर तथा ₹ 1,942 करोड़ शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति पर व्यय किये गये। राज्य सरकार ने ₹ 2,501 करोड़ (सकल) का विभिन्न कम्पनियों/निगमों/सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में निवेश भी किया । सरकारी निवेश का बड़ा हिस्सा एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी (₹ 1,196 करोड़),विद्युत क्षेत्र (₹ 658 करोड़) तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 625 करोड़) में था।

3.3.2. गत पाँच वर्षों के पूंजीगत व्यय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमो को सम्मिलित करते हुये) का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं	463 (2.7)	398 (2.5)	484 (2.0)	542 (2.7)	407 (1.5)
सामाजिक सेवाएं	5,490 (32.4)	7,642 (48.5)	10,951 (44.2)	8,851 (44.3)	9,950 (36.8)
आर्थिक सेवाएं	8,765 (51.6)	7,231 (45.9)	12,717 (51.3)	10,405 (52.1)	16,289 (60.2)
कर्जे तथा पेशगियां	2,255 (13.3)	491 (3.1)	621 (2.5)	175 (0.9)	398 (1.5)
कुल योग	**16,973**	**15,762**	**24,773**	**19,973**	**27,044**

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शायी गयी राशियां कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशतता* दर्शाती हैं।


पूंजीगत व्यय के मुख्य संघटक का रूझान
(₹ करोड़ में)
28000
24000
20000
16000
12000
8000
4000
0
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
सामान्य सेवाएं
आर्थिक सेवाएं
सामाजिक सेवाएं
कर्जे तथा पेशगियां

अध्याय-4

राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता व्यय

4.1. व्यय का वितरण

भारत सरकार ने गैर–योजना और योजना के रूप में व्यय के बटवारे को 2017–18 से बंद कर दिया है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने अपने बजट में व्यय की प्रकृति को राज्य निधि और केन्द्रीय सहायता के रूप में संशोधित किया है।

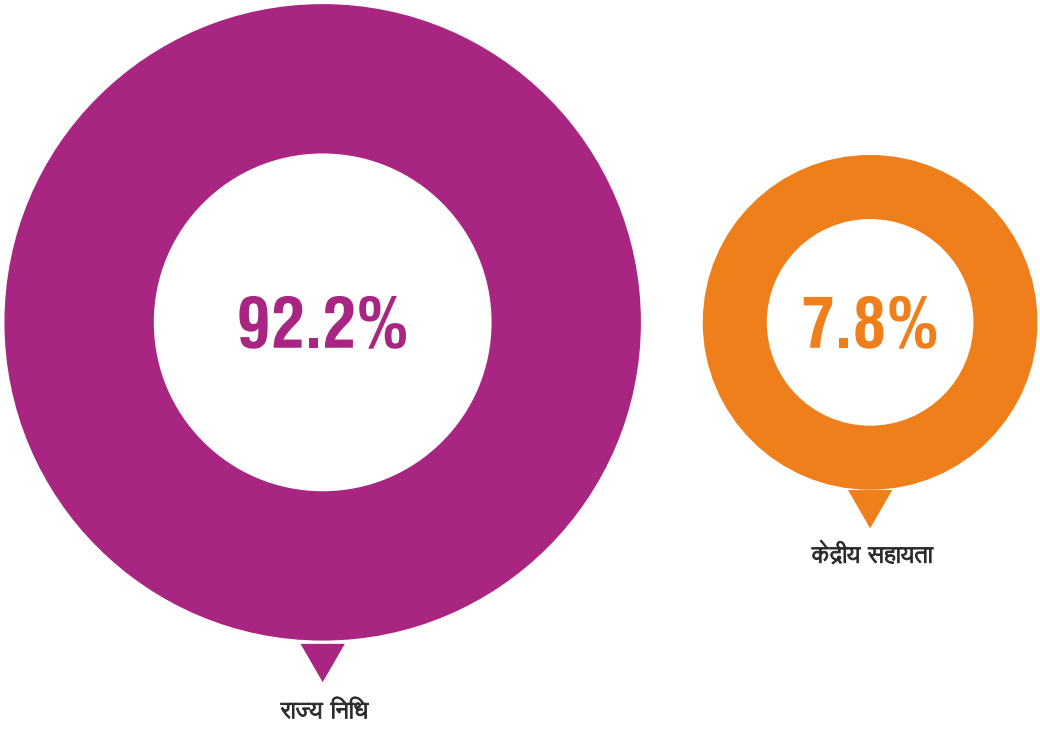
4.2. राज्य निधि व्यय

2023–24 के दौरान राज्य निधि व्यय, कुल वितरण के 92.2 *प्रतिशत* को दर्शाते हुए ₹ 2,48,139 करोड़ (₹ 2,24,466 करोड़ राजस्व के तहत, ₹ 23,275 करोड़ पूंजीगत के तहत तथा ₹ 398 करोड़ कर्ज तथा अग्रिम के तहत) था ।

4.3. केन्द्रीय सहायता व्यय

2023–24 के दौरान, केन्द्रीय सहायता व्यय, कुल वितरण के 7.8 *प्रतिशत* को दर्शाते हुए ₹ 21,136 करोड़ (₹ 17,765 करोड़ राजस्व के तहत तथा ₹ 3,371 करोड़ पूंजीगत के तहत) था ।

व्यय का वितरण



अध्याय-5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
राजस्व						
दत्तमत	2,33,329	15,059	2,48,388	2,13,151	(-) 35,237	35,171
भारित	*32,692*	*2,255*	*34,947*	*34,473*	*(-) 474*	*454*
पूंजी						
दत्तमत	43,614	3,696	47,310	31,353	(-) 15,957	15,905
भारित	..*	*2*	*2*	*2*	..	..**
लोक ऋण						
भारित	*93,766*	*80,107*	*1,73,873*	*1,63,999*	*(-) 9,874*	*9,878*
कर्जे तथा पेशगियां						
दत्तमत	146	304	450	398	(-) 52	154
आकस्मिकता निधि से विनियोग						
दत्तमत	..	..	..	..	..	..
योग	**4,03,547**	**1,01,423**	**5,04,970**	**4,43,376**	**(-) 61,594**	**61,562**

* मात्र ₹ 14,000 ** मात्र ₹ 6,44,000

5.2. गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्जे तथा अग्रिम	
2019-20	(-) 18,988	(-) 5,141	(-) 17	(-) 212	(-) 24,358
2020-21	(-) 18,802	(-) 7,912	(-) 40	(-) 298	(-) 27,052
2021-22	(-) 18,149	(-) 5,816	(-) 8,640	(-) 24	(-) 32,629
2022-23	(-) 25,693	(-) 18,475	(+)20,928	(-) 18	(-) 23,258
2023-24	(-) 35,711	(-) 15,957	(-) 9,874	(-) 52	(-) 61,594

5.3. महत्वपूर्ण बचत

2023–24 के दौरान कुल ₹ 7,611 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (₹ 1,01,423 करोड़ के लिये गये कुल अनुपूरक अनुदान का 7.5 *प्रतिशत)* 39 अनुदानों में अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योकि जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आवंटन के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण बचत रही। ऐसी महत्वपूर्ण अनुदानों का विवरण नीचे दिया गया हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
02	राज्य विधानमण्डल	राजस्व	95	11	86
06	विधि एवं विधिक कार्य विभाग	राजस्व	1,541	54	1,525
10	वाणिज्यिक कर विभाग	राजस्व	1,129	89	1,027
16	राजस्व विभाग	राजस्व	1,963	33	1,670
17	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	273	11	266
		पूंजी	192	14	81
18	गृह विभाग	राजस्व	9,123	196	8,728
		पूंजी	277	50	84
20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	राजस्व	18,787	135	14,595
		पूंजी	198	237	96
21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	राजस्व	23,526	56	22,821
		पूंजी	866	200	650
22	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	2,027	76	1,853
25	कला एवं संस्कृति विभाग	राजस्व	189	74	115
27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	9,374	433	9,248
		पूंजी	801	68	625
29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	पूंजी	74	13	40
30	जनजाति क्षेत्र विभाग	राजस्व	21,320	837	18,265
		पूंजी	7,037	255	5,051
32	महिला एवं बाल विकास विभाग	राजस्व	2,636	54	2,176

महत्वपूर्ण बचत –*(समाप्त)*

अनुदान संख्या	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
33	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	76	11	73
34	श्रम एवं रोजगार विभाग	राजस्व	1,658	28	1,578
35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	राजस्व	191	77	186
36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	राजस्व	5,090	851	4,104
40	स्वायत्त शासन विभाग	राजस्व	6,037	878	5,111
		पूंजी	4,336	58	2,016
42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	राजस्व	3,192	61	2,470
46	कृषि विभाग	राजस्व	3,617	46	3,428
47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	राजस्व	1,403	293	1,288
49	गोपालन विभाग	राजस्व	1,837	47	1,799
51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	राजस्व	26,928	1,079	22,540
		पूंजी	8,205	224	5,166
53	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	4,389	395	2,490
		पूंजी	737	335	606
56	उद्योग विभाग	राजस्व	522	48	352
57	पेट्रोलियम विभाग	पूंजी	500	50	500
62	परिवहन विभाग	राजस्व	1,047	151	1,021
		पूंजी	141	15	76

अध्याय-6

सम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1. सम्पत्तियां

लेखों का वर्तमान प्रारूप सरकारी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन, केवल प्राप्ति/क्रय करने का वर्ष छोड़कर सरलता से प्रदर्शित नहीं करता । इसी प्रकार, जबकि लेखे चालू वर्ष में बढ़े दायित्वों का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले समग्र दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल वर्तमान ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर जैसे सीमित प्रदर्शन को छोड़कर।

6.1.1. निवेश तथा वापसी

2023-24 के अंत में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अंश-पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 61,778 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर केवल ₹ 51 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने सांवधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनीयों एवं सहकारी समितियों में ₹ 2,501 करोड़ निवेश किया। मुख्य निवेश एच पी सी एल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (₹ 1,196 करोड़), राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम (₹ 625 करोड़), विद्युत कम्पनियों (₹ 358 करोड़) तथा राजस्थान राज्य पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 300 करोड़) में किया गया।

6.1.2. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

31 मार्च, 2023 को भारतीय रिर्जव बैंक में रोकड़ शेष ₹ (-) 71 करोड़ था तथा 31 मार्च, 2024 को ₹ 2 करोड़ तक बढा । रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश की स्थिति नीचे दी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2023 को	31 मार्च 2024 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 71	2	73
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल)	103	628	525
अन्य रोकड़ शेष	25	25	..
(क) विभागीय शेष	1	1	..
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	24	24	..
आरक्षित निधियों के शेष से निवेश	7,614	9,891	2,277
(क) गारन्टी मोचन निधि	6,766	8,368	1,602
(ख) अन्य निधियां	848	1,523	675
ब्याज प्राप्तियां	198	490	292

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के कोषालय बिलों में रोकड़ शेष निवेश			
1 अप्रैल 2023 को शेष	2023-24 के दौरान क्रय	2023-24 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2024 को अन्तिम शेष
103	28,742	28,218	628

6.1.3. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम

वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे तथा अग्रिम ₹ 7,962 करोड़ थे। 2023-24 के दौरान, ₹ 405 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के पुनर्भुगतान बाबत प्राप्त हुए जिसमें से ₹ 387 करोड़ विभिन्न विद्युत् कम्पनियों (₹ 285 करोड़), जयपुर मेट्रो रेल निगम (₹ 67 करोड़), राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (₹ 22 करोड़) तथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (₹ 13 करोड़) के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिये प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिये मददगार होगें।

महालेखाकार को संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष जून तक मूल तथा ब्याज के संबंध में बकाया रही वसूलियों से संबंधित सूचना दी जानी होती है 2023-24 के दौरान 32 विभागों से 156 में से 128 विवरण प्राप्त नहीं हुए है।

6.2. ऋण एवं देयता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर निश्चित सीमा के अन्दर, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई हो, उधार लेने के लिए अधिकृत करता है।

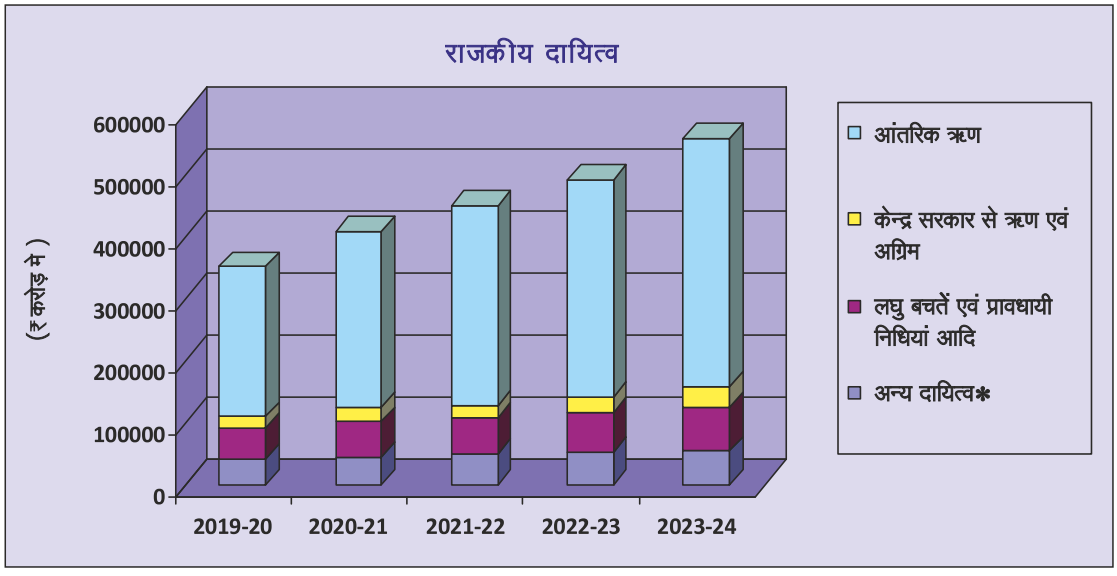
राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है (आंकड़े वर्ष के अंत में अग्रेषित शेष है) :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	लोक लेखा *	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*
2019-20	2,59,380	26.0	93,322	9.3	3,52,702	35.3
2020-21	3,08,321	30.3	1,02,178	10.0	4,10,499	40.3
2021-22	3,41,684@	28.6	1,09,289	9.1	4,50,973	37.7
2022-23	3,76,512@	27.7	1,17,190	8.7	4,93,702	36.4
2023-24	4,34,779@	28.4	1,24,987	8.2	5,59,766	36.6

* अग्रिम, उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर।

@ ₹ 11,872 करोड़ जी एस टी मुआवजे के एवज में भारत सरकार से प्राप्त ऋण मे सम्मिलित नहीं है ।



* अन्य दायित्वों में आरक्षित निधियां तथा जमा सम्मिलित है।

6.3. गारन्टियां (आकस्मिक दायित्व)

सीधे कर्जे उगाहे जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से उगाहे गये कर्जों के लिये गारन्टी भी देती है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, इत्यादि द्वारा लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान (मूल तथा इस पर ब्याज का भुगतान) के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	गारन्टी की अधिकतम राशि	वर्ष के अंत में बकाया गारन्टी
2019-20	1,44,676	80,631
2020-21	1,56,822	82,612
2021-22	1,72,684	95,868
2022-23	2,01,008	1,04,832
2023-24	2,21,973	1,10,918

टिप्पणी: विस्तृत विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 20 में उपलब्ध है तथा ये राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

गारन्टी फीस 0.01 *प्रतिशत* से 1 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष पर संगणित की जाती है। 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने गारण्टी शुल्क के रूप में प्राप्त ₹ 906 करोड़ गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरित किये तथा ₹ 8,969 करोड़ के कुल शेष में से ₹ 8,368 करोड़ निवेशित किये गये।

अध्याय-7

अन्य मदें

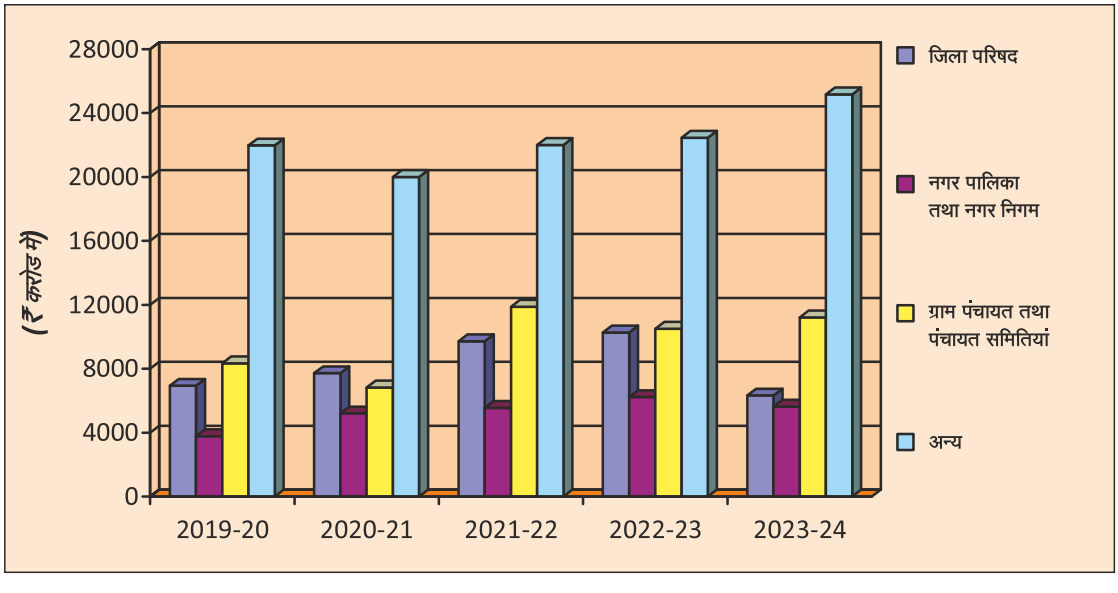
7.1. स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

गत पाँच वर्षों के दौरान, स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायतार्थ अनुदान वर्ष 2019-20 में ₹ 41,025 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 48,329 करोड़ बढ़ी । जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को दी गई अनुदान (₹ 23,163 करोड़) वर्ष के दौरान दी गई कुल अनुदान का 47.9 *प्रतिशत* था।

गत पाँच वर्षों में जारी की गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं तथा नगर निगमों	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां	अन्य	योग
2019-20	6,930	3,781	8,341	21,973	**41,025**
2020-21	7,716	5,206	6,827	19,996	**39,745**
2021-22	9,712	5,542	11,874	21,999	**49,127**
2022-23	10,264	6,229	10,503	22,448	**49,444**
2023-24	6,323	5,626	11,214	25,166	**48,329**



7.2. लेखों का अंक मिलान

लेखों की सटीकता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के बीच, विभाग के उपलब्ध आंकड़ों तथा महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर अंकमिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्राप्तियों की राशि ₹ 2,03,276 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) और व्यय राशि ₹ 2,69,275 करोड़ (कुल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान किया गया ।

7.3. कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले प्रारम्भिक लेखों की स्थिति संतोषजनक है। राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) लागू होने के पश्चात् खण्डीय संव्यवहार कोषालयों के माध्यम से प्राप्त हो रहे है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू करने, निधियों के आवंटन पर बजटीय नियंत्रण तथा कोषालय लेखों की सामयिकता में गत कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

7.4. सहायतार्थ अनुदान के लिये उपयोगिता प्रमाण–पत्र

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के अधीन, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदान के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्त्ता से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये जिनको सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये । निर्दिष्ट समय के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के आश्वासन के अभाव को इंगित करता है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

देय वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2022–23 तक	352	293
2023–24	644	829
योग	**996**	**1,122**

7.5. सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल

जब अग्रिम धन की आवश्यकता होती है या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सही राशि की आवश्यकता की गणना करने में समर्थ नही होने पर वे बिना समर्थित वाउचरों के सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अनुमत्य है। ऐसे एसी बिलों को अधिकतम 3 माह में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों के प्रस्तुतीकरण से समाशोधित करना होता है। 31 मार्च 2024 के अन्त में ₹ 81 करोड़ के कुल 197 डीसी बिल बकाया थे। विस्तृत आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं होने तक वर्ष के दौरान दर्शाये गये व्यय को अन्तिम व्यय हुआ नहीं माना जा सकता है ।

7.6. निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते

सरकार निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते खोलने के लिये अधिकृत है जिसमें निधियां समेकित निधि से हस्तान्तरित की जाती है। राजस्थान कोषालय नियम के अनुसार, एक पी.डी. खाता अन्तिम लेनदेन के वर्ष के पश्चात् दो पूर्ण वित्तीय वर्ष से अधिक समय हेतु अप्रचलित होने पर बन्द होना अपेक्षित होता है तथा अवशेष राशि को समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिये।

31 मार्च 2024 को कुल 2451 पी.डी. खाते थे । वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 309 नये निजी निक्षेप खाते खोले गये तथा 58 पी. डी. खाते बंद किये गये । ₹ 40,312 करोड़ की राशि पी.डी. खातों को हस्तान्तरित/जमा की गयी । इसमें राज्य की समेकित निधि से हस्तान्तरित ₹ 22,865 करोड़ शामिल थे।

वर्ष 2023–24 के अंत में ₹ 13,673 करोड़ की राशि पी.डी. खातों में अवशेष रही।

7.7. सिंगल नोडल एजेंसी (एस एन ए) को निधियों का हस्तांतरण:

राज्य सरकार/पीएफएमएस–एसएनए की एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को अपने कोषालय लेखों में वर्ष के दौरान केन्द्रीयांश के रूप में ₹ 12,954.28 करोड़ (जिसमें 02 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच प्राप्त ₹ 3,643.81 करोड़ सम्मिलित हैं) प्राप्त हुए । 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार ने ₹ 12,712.31 करोड का केन्द्रायांश के रूप में (जिसमें 2022–23 के दौरान प्राप्त निधि सम्मिलित हैं) तथा ₹ 11,388.55 करोड का राज्यांश एसएनए को हस्तान्तरित कर दिया । ₹ 24,100.86 करोड कुल हस्तान्तरण में से, ₹ 12,880.02 करोड जीआईए बिलों के माध्यम से, ₹ 6,760.47 करोड आकस्मिक बिलो के माध्यम से, ₹ 3,944.52 करोड पीडी भुगतान के माध्यम से (जल जीवन मिशन के लिए ₹ 3,551.92 करोड तथा अन्य पीडी भुगतान के लिए ₹ 392.60 करोड) तथा डब्ल्यूएएम बिलों के माध्यम से ₹ 515.85 करोड हस्तान्तरित किये गये । जिसमें 02 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच प्राप्त ₹ 3,643.81 करोड़ में से 31 मार्च 2024 को एसएनए के बैंक खाते में राशि ₹ 3,188 करोड हस्तान्तरित नहीं किये गये ।

एस.एन.ए. रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 4,713.71 करोड़ रुपये बिना व्यय किए पड़े हैं।

7.8. व्यय की प्रचुरता

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतया अंतिम माह में व्यय की प्रचुरता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जायेगा तथा इससे बचा जाना चाहिये। यद्यपि, चार लेखा शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2024 में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच व्यय हुआ है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2023–24 के चार त्रैमासिक के दौरान व्यय का प्रवाह उक्त दर्शाये शीर्षों में निम्नलिखित था :–

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान	2023-24 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2024 का *प्रतिशतता*
		(₹ करोड़ में)						
2075	विविध सामान्य सेवाएं	3	3	2	910	**918**	**908**	99.0
3054	सडक तथा सेतु	(-) 8	408	120	4,033	**4,553**	**3,822**	83.9
4059	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	23	50	22	221	**316**	**175**	55.2
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20	24	79	285	**408**	**249**	61.1

7.9. उचन्त शेषों की स्थिति

वित्त लेखे में उचन्त शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से बकाया नामे तथा जमा शेषों को जोड़कर निकाला जाता है। मुख्य शीर्ष 8658–उचंत लेखों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के बकाया शेषों के सकल आकड़ों का विवरण निम्न प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101. वेतन एवं कार्यालय–उचंत	104	10	104	9	95	9
निवल	**(नामे) 94**		**(नामे) 95**		**(नामे) 86**	
102. उचंत लेखे (सिविल)	..*	100	..$	85	1	95
निवल	**(जमा) 100**		**(जमा) 85**		**(जमा) 94**	
112. स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त	..	27	..	(-) 2	..	98
निवल	**(जमा) 27**		**(जमा) (-) 2**		(जमा) 98	
129. सामग्री क्रय समाधान उचन्त लेखा	..	(-) 4	..	(-) 3	..	(-) 3
निवल	**(जमा) (-) 4**		**(जमा) (-) 3**		**(जमा) (-) 3**	
139. स्त्रोत पर जीएसटी कर कटौती उचंत	..	54	..	57	..	66
निवल	**(जमा) 54**		**(जमा) 57**		**(जमा) 66**	

* 0.41 करोड मात्र $ 0.36 करोड मात्र



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302005

agaerajasthan@cag.gov.in